



उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन' निकट आई.एस.बी.टी., पो0अॉ0-माजरा, देहरादून-248171
PH. 0135-2641115 FAX- 2641314 Website www.uerc.gov.in E-mail- secy.uerc@gov.in

सार्वजनिक सूचना

प्रारूप, उविनिआ (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन एवं शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2018 [Draft UERC (Terms and Conditions of Intra-State Open Access) (Second Amendment) Regulations, 2018] पर सुझाव आमंत्रण।

विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम संख्यांक 36) की धारा 39, 40, 42 एवं 86 सपटित धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यधारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् आयोग द्वारा प्रारूप, उविनिआ (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन एवं शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2018 जारी किया गया है। प्रारूप संशोधित विनियम आयोग की वेबसाईट www.uerc.gov.in में अपलोड किया गया है।

उक्त प्रारूप संशोधित विनियम पर सभी स्टेकहोल्डर्स अपने सुझाव/आपत्तियां/प्रतिवेदन, अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 11.05.2018 तक लिखित रूप से डाक द्वारा, ई-मेल या स्वयं उपस्थित होकर उपरोक्त पते पर आयोग के विचारार्थ प्रेषित कर सकते हैं।

निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त सुझावों/आपत्तियों/प्रतिवेदनों पर प्रारूप संशोधित विनियम को अन्तिम रूप देते समय, आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।